

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:- 2/358/2015

दायर दिनांक:-30/07/2015

जीसीएमएस नं0:- 2015/306

निर्णय दिनांक:- 11/08/2025

बउनवान

1. सुरेश पुत्र मूला जाति जाट निवासी बेरका तहसील कठूमर जिला अवलर।

----- सायल

बनाम

1. बनवारी पुत्र मूला जाति जाट निवासी बेरका
2. बसुदेव पुत्र मूल जाति जाट निवासी बेरका
3. बबली पुत्र मूला जाति जाट निवासी बेरका निवासीयान ग्राम बेरका तहसील कठूमर।

----- गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-श्री तेजसिंह राठी -अधिवक्ता सायलान

-::निर्णय::-

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 393, 428, 435, 430, 433, 434, 431, 466, 477, 442, 443, 429, 432, 425, वाके ग्राम बेरका तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है मुताविक हिस्सा जमाबन्दी सायलान एवं गैरसायलान अपने अपने हिस्सा की आराजी पर शामलात में काबिज रहकर काश्त कर रहे है राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायलान विवादित आराजी का कानूनी


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राजस्थान

तकासमा कराना चाहता है सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा ना कराने के साथ साथ सायलान को खुले आम धमकी दी है कि हम तुझे विवादित आराजी पर शामलात में काश्त नहीं करने देंगे जबरन वेदखल कर खुद कब्जा करेंगे या विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये बिना ही तहसीलदार कटूमर से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर देंगे। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एवं बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान को बार-बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आये जिनके विरुद्ध दिनांक 17.02.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम बींजला की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है जो अवट है सायलान विवादित

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अवट) राज

आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है लेकिन गैरसायलान तैयार नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना रहन वय करने को उतारु है तथा सायलान के कब्जे काशत में बाधा पैदा करते है इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। अधिवस्थ सायलान ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया गया है।

प्रथम दृष्टा केस:- सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की अवट व शामलात में काशत होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन:- सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों में विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी मौके पर बंटी हो इस तरह का पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है। विवादित आराजी अवट है या बंटी हुई ये तथ्य तो मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायलान के शामलात कब्जे काशत में बाधा पैदा कर सकते है रहन वय कर सकते है जिससे सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षति:-विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायलान विवादित आराजी के खातेदार काशतकार है। यदि गैरसायलान ने सायलान के कब्जे काशत में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो बाद बहुलता व पक्षकारान के मध्य मुकदमा बाजी बढेगी। जिससे सायलान को क्षति व

उपखण्ड अधिकारी
कलकत्ता (अलग)

नुकसान होने की संभावित है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना 212 आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान व क्षति होती हो इस तरह की संभावना अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 393, 428, 435, 430, 433, 434, 431, 466, 477, 442, 443, 429, 432, 425, वाके ग्राम बेरका तहसील कठूमर में कब्जे काशत में मजाहमत न करें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 30.07.2015 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवीर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर
कठूमर (जिला अलवर)